REVIEW OF RESEARCH

# " उमरिया जिले में हो रहे शिक्षा के अधिकार के अतिलंघन का आलोचनात्मक अध्ययन "

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

डॉ.राजू रैदास[1] , डॉ. हर्षा चचाने[2]

[1]अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.)भारत.
[2]प्राध्यापक राजनीति विज्ञान ,शा. गृह विज्ञान स्नातोत्तर महा.वि.होशंगाबाद

**प्रस्तावना एवं शोध सारांश :–**
उमरिया जिला समुद्र सतह से 489 मीटर ऊँचाई पर तथा 23°–31'–37'' उत्तरी अक्षांश 80°–50'–10'' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। उमरिया जिले के उत्तर में सतना, उत्तर पश्चिम में कटनी, उत्तर पूर्व में शहड़ोल, पश्चिम दक्षिण में जबलपुर, उत्तर पूर्व में शहड़ोल, दक्षिण में डिंडौरी जिलों से घिरा हुआ ।

भारत के मानचित्र पर उमरिया जिले का नामकरण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है, स्वाधीनता के उपरान्त देशी राज्यों के विलीनीकरण प्रक्रिया में बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड की छोटी – बड़ी 36 रियासतों को मिलाकर विन्ध्यप्रदेश का गठन किया गया, जुलाई 1998 में करकेली, पाली एवं मानपुर तहसीलों को मिलाकर यह जिला बना। 1 नवम्बर 1956 को महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्र के 43 हिन्दी भाषी जिलों को मिलाकर मध्यप्रदेश राज्य बनाया गया।
उमरिया जिला उत्तर से दक्षिण लगभग 115 किलोमीटर लम्बा तथा पूर्व से पश्चिम लगलग 95 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 4503 वर्ग किलोमीटर है। उमरिया जिले को पूर्व में 3 तहसीलों में विभक्त किया गया था। मानपुर, करकेली, बॉधवगढ़ एवं पाली तथा बाद में चंदिया, नौरोजाबाद, विलासपुर को दर्जा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 7 तहसीलों एवं 03 विकासखण्ड है। तहसीलों का क्षेत्रफल क्रमशः मानपुर 1952, करकेली 1678 एवं पाली 873 किलोमीटर है।
शिक्षा का व्यक्तित्व–विकास एवं जीवन–निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा ही मानसिक एवं बौद्धिक विकास का माध्यम है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा का वही स्थान है जो शारीरिक एवं भौतिक विकास के लिए भोजन का है।
शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का सर्वाग्डीण नहीं हो पाता। वह निर्धनता, अन्धविश्वास, कुप्रथाओं, कुरीतियों आदि से जकड़ जाता है। अशिक्षा अनेक बार कई कष्टों एवं क्लेषों का कारण बन जाती है। कवि की पंक्तियां उद्धरणीय है–
" सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही आज हम सब पड़ रहे है क्लेष में। " दुर्भाग्य है कि हमारा देश के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की अधिकांश आबादी अशिक्षित एवं निरक्षर है। साक्षरता का भी नगण्य है। उच्च शिक्षा का नाम मात्र की है। इसके अनेक कारण है, यथा–

(क)निर्धनता;
(ख)कुरीतियाँ;
(ग) कुप्रथाएँ;
(घ) चेतना का अभाव;
(ड) शासन–प्रशासन की उदासीनता;
(च) अभिभावकों की उपेक्षा वृत्ति;
(छ) संसाधनों का अभाव;
(ज)खेतिहर श्रम, आदि।
अशिक्षा से हमारा समाज प्रतिकूलतया प्रभावित हुआ है। यह अशिक्षा ही है जिसके कारण–

(1) बेरोजगार;
(2) शराबखोरी;
(3) जुआ;
(4) वेश्यावृत्ति;
(5) उद्दण्डता;
(6) अनुशासनहीनता;
(7) आतंकवाद;
(8) निर्धनता;
आदि बुराईयाँ एवं विकृतियाँ पनपी है।
हमारे यहाँ शिक्षा की कभी आवश्यकता नहीं समझी गई। विधिक दृष्टि से भी शिक्षा कभी अनिवार्य नहीं रही। लेकिन जब अशिक्षा के दुष्परिणाम सामने आने लगे तो हमारे

शासन–प्रशासन कका इस ओर ध्यान गया और प्रथम बार संविधान में इसे 'मूल अधिकार'(Fundamental Right) के रूप में स्थान दिया गया।

**शिक्षा एक मूल अधिकार :–**

सन् 2002 में संविधान में 86वां संशोधन कर एक नया अनुच्छेद 21क जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि–

'' राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करें, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।''

**(The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six fourteen years in such manner as the State may,by law determine)**

इस प्रकार संविधान में प्रथम बार छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बालकों के लिए :–

(1)निःशुल्क (Free), एवं

(2)अनिवार्य (Compulsory)

शिक्षा की व्यवस्था की गई।

निश्चित ही सामाजिक परिवर्तन की दिशा में यह एक क्रान्तिकारी पहल है। वैसे काफी लम्बे समय से शिक्षा को मूल अधिकार बनाने की पेशकश चल रही थी।

**यूनिकृष्णन् बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश,** (1993) 4एस.सी.सरी. 645 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाये जाने ककी अनुशंसा कर दी गई थी।

परिणामस्वरूप सन् 2002 में संविधान के 86वें संधोधन द्वारा अनुच्छेद 21क के अन्तर्गत इसे एक मूल अधिकार के रूप में स्थान दे दिया गया।

इतना ही नहीं वर्ष 2010 में ''बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार'' **The Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2010)** पारित कर दिया गया जो सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रैल, 2010 से लागू है।

न्यायिक निर्णयों से भी इस अधिकार को संबल मिला।

**अनिल पंजाब राव नहाटे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,** ए.आई.आर. 2011 एन.ओ.सी. 109 बम्बई के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि– ''शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। राज्य का यह कर्त्तव्य है ि कवह सभी स्थानों के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। यही दायित्व अभिभावकों का भी है। समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे स्थानों पर शिक्षण संस्थायें स्थापित करें जहाँ आसपास में ऐसी शिक्षण संस्थायें नहीं हैं।

**ट्राइबल मिशन वेट्टालेकी बनाम स्टेट ऑफ केरल,** ए.आई.आर.2011 एन.ओ.सी. 26 केरल के मामले में तो केरल उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ तक कह दिया गया कि– ''आसपास में विद्यालय होने के आधार पर किसी नये विद्यालय को मान्यता देने से इन्कार करना संविधान के अनुच्छेद 21क का उल्लंघन है।''

**निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार –** (1) छः वर्ष से चौदह वर्ष ी आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

**अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार –** (1) जहाँ किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहाँ किसी बालक को किसी अन्य विद्यालय में, धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (पपप) और (पअ) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को अपवर्जित करते हुए अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानान्तरण कराने का अधिकार होगा।

परन्तु स्थानान्तरण प्रमाणपत्र करने में विलम्ब, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलम्ब या प्रवेश से इन्कार करने के लिए आधार नहीं होगा।

परन्तु यह और कि विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब के लिए उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिये दायी होगा।

**वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बँटाना : –**

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के उपखण्ड (घ) के अधीन किसी राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाने की आवश्यकता का परीक्षण करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने की प्रार्थना करेगी ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी निधियों का अंश प्रदान कर सके।

**समुचित सरकार के कर्त्तव्य –** समुचित सरकार –
(क) प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी।
(1) छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अमिष्ट है।
(2) छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा अनिवार्य प्रवेश प्राथमिक शिक्षा और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अमिष्ट है।
(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी।
(ग) यह सुनिश्चित करेगी की दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के साथ पक्ष पात न हो तथा किसी आधार पर पाथमिक शिक्षा लेने का अधिकार होगा।
(घ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी।
(ड.) प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रवेश, उपस्थिति और पूरा करने की सुनिश्चित और मॉनीटरिंग करेंगी।
(च) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यवार और पाठ्क्रम को समय से विहित करना सुनिश्ति करेगी।
(छ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायेगी।

**प्रवेश से इन्कार न किया जाना :–**

किसी बालक को, अकादमिक वर्ष के प्रारम्भ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी विद्यालय में प्रविष्ट किया जाएगा।

परन्तु किसी बालक को प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रविष्ट किया गया कोई बालक ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा।

**रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध :–**

किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में नही रोका जायेगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा के पूरा किये जाने तक निष्काषित नही किया जायेगा।

**बालक के शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध :–**

1. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
2. जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही कार्यवाही का दायी होगा।

**निष्कर्ष :–**

किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी। प्रत्येक बालक या बालिका को जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा, जो विहित की जाए।

इस प्रकार बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, 2009 एक सामाजिक विधायन है जो सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत आधार बना है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :–**

1. नव भारत पत्रिका वर्ष 2017
2. पत्रिका समाचार पत्र, जबलपुर संस्करण फरवरी 2018
3- www.google.com/wikipedia.com